न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मु.नं.18 / 2020

श्री गंगा मंदिर बनाम बद्री प्रसाद वगै.

<u>प्रार्थना –पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी.</u>

दिनांक 05.04.2022

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पंक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी.पर हमने वहस और पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अपने दावे के विवरण के दौरान दिनांक 17.01.2020 के न्यायालय के आदेश को अपास्त करवा कर अपने वादपत्र को पुनःदर्ज करने हेतु पेश किया है एवं दावे के अदम हाजरी में खारिज होने पर अपनी अनुपस्थिति का संतोषप्रद कारण बताया है। इस पर अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को प्रार्थी द्वारा दावे में की जा रही देरीना कार्यवाहियों के आधार पर खारिज करने का तर्क दिया है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि चूँकि दावे में प्रार्थी द्वारा की जा रही देरीना कार्यवाहियों का विवेचन वादपत्र के विचारण में किया जावेगा एवं प्रार्थी का दिनांक 17.01.2020 को न्यायालय में अनुपस्थित रहने का संतोषप्रद कारण बताया गया है जो स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र नियम 9 नियम 9 जा.दी.स्वीकार किया जाता है और न्यायालय कें आदेश दिनांक 17.01.2020 को अपास्त किया जाकर वादपत्र को पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा